न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मनफूल बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 365/2025
निर्णय दिनांक ...10/09/2025....

मनफूल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 554 खसरा सं. 267 तादादी 0.7840 हैक्ट., ख.नं. 687 तादादी 11.5828 हैक्ट., में प्रार्थी के नाम मनफुल पुत्र भागीरथ है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड व अन्य जमाबंदी खाता संख्या 556 आदि में नाम मनफूल पुत्र भागीरथ है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मनफुल पुत्र भागीरथ के स्थान पर मनफूल पुत्र भागीरथ अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक 1683/03.09.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, अन्य जमाबंदी खाता संख्या 556 इत्यादि में प्रार्थी का नाम मनफूल पुत्र भागीरथ सही नाम है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 554 खसरा सं. 267 तादादी 0.7840 हैक्ट., ख.नं. 687 तादादी 11.5828 हैक्ट., में प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र भागीरथ के स्थान पर मनफूल पुत्र भागीरथ किया जाना उचित है

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र भागीरथ व मनफूल पुत्र भागीरथ दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, अन्य जमाबंदी खाता सं. 556 में प्रार्थी का नाम मनफूल पुत्र भागीरथ पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र भागीरथ अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 554 खसरा सं. 267 तादादी 0.7840 हैक्ट., ख.नं. 687 तादादी 11.5828 हैक्ट., के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र भागीरथ **Delete** कर इसके स्थान पर मनफूल पुत्र भागीरथ अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner